

प्रकरण संख्या 147/2017

श्री देवी कृष्णा देवी व श्री हिरालाल बरकत नाम (1) मदन 70 नारायण मीठानि गृहणा  
श्री श्यामपुरा  
श्यामपुरा

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक-16/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री श्री देवी कृष्णा देवी ने जरिये अधिवक्ता श्री S.N.जीनडा एड. ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल, खाले की भूमि ग्राम बीररा प0ह0 बीररा तह0 माण्डलगढ मे आ 907/543, 922/543

किता 2 रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आय विपक्षीगण विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कर साथ में प्रार्थनापत्र की तार्ईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 के अवलोकन से प्रार्थी पत्रावली आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करीब शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0क्ट स्वीकार किया गया। ग्राम बीररा की आराजी न0 907/543, 922/543 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा 3 की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किले के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 450 /रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढी की शुल्क राशि 100 /रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसील पर माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

2